



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०म्बालियर

प्र. क्र. /निगरानी/ग्वा/भूराज०/2017/

PDR/भूराज०/न्यायालयर/भूराज०/2017/उ०१३

श्री हीरादेवी पत्नी श्री गोपालदास गोयल  
निवासी सुभाषगंज डबरा तहसील डबरा व  
जिला ग्वालियर म०प्र० प्रार्थिनी  
बनाम

प्रस्तुत  
49-17  
शास्त्र भूमि भूमि

कलियान पुत्र श्री हुब्बलाल निवासी ग्राम सैकरा  
जागीर हाल निवास श्रीराम कॉलोनी डबरा  
तहसील डबरा जिला ग्वा० प्रतिप्रार्थी

म०प्र०भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय तहसीलदार  
तहसील डबरा के प्रकरण क्रमांक 1585/2015-16 अ-6 में  
पारित आदेश दिनांकी 20.07.2017 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थिनी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1-

यह कि, प्रार्थिनी ने ग्राम सैकरा जागीर तहसील डबरा में स्थित सर्वे क्रमांक 891 रकवा 1.560हेठो सर्वे क्रमांक 892 रकवा 1.400हेठोभूमि जिसके की कलियान पुत्र श्री हुब्बलाल भूमि स्वामी थे के द्वारा प्रार्थिनी के हक में दिनांक 12.08.2009 को किये गये विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण कार्यवाही किये जाने हेतु नामांतरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तहसीलदार डबरा द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिनी का नामांतरण स्वीकार करते हुये राजस्व अभिलेख में प्रार्थिनी का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया प्रतिप्रार्थी कलियान द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी डबरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क्रमांक 48/2012-13 अपील है उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 11.12.2013 के द्वारा कलियान द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी डबरा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिप्रार्थी ने अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क्रमांक 115/2013-14 अपील है जिसमें पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकी 27.01.2012 तथा अनुविभागीय अधिकारी डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2013 निरस्त कर दी। अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर द्वारा पारित किये गये आदेश के आधार पर विचारणीय न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार डबरा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी प्रार्थिनी द्वारा तहसील डबरा के न्यायालय में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराए जाने बावत् जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र का जबाब प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया और अपने

क्रमांक.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./ग्वालियर/भू.रा./2017/3113

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है।</p> <p>उभय पक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;"> </p>	अध्यक्ष